मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 09] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2015-फाल्गुन 8, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राहुल जैन, मेरी पत्नी अंजू जैन एवं पुत्र तनय जैन को इसी नाम से जाना व पहचाना जाए. जहां कहीं भी हमारा नाम राहुल दरडा, मेरी पत्नी अंजली दरडा या अंजू दरडा या अंजली जैन एवं मेरे पुत्र का नाम तनय दरडा अंकित हो गया था उसके स्थान पर मेरा सही नाम राहुल जैन, मेरी पत्नी अंजू जैन एवं पुत्र तनय जैन पढ़ा व अंकित किया जाए.

पुराना नाम :
(राहुल दरडा)
(अंजली दरडा)

नया नाम :
(राहुल जैन)
(अंजू जैन)
26, बक्षी कॉलोनी एक्सटेंशन,
सदर बाजार, इन्दौर (म.प्र.).

(622-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रहीमा बानु ने अपना नाम परिवर्तन कर रहीमा रजाक कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(रहीमा बानु)

नया नाम :
(रहीमा रजाक)
पति स्व. अब्दुल रजाक,
पता—280, श्रीनगर एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र.).

(623-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम नजमुद्दीन आरिफ बागलीवाला था. अब मुझे परिवर्तित नाम शब्बीर हुसैन बागलीवाला के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(नजमुद्दीन आरिफ बागलीवाला)

नया नाम :
(शब्बीर हुसैन बागलीवाला)
219, अम्मार नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(624-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे सुरेशचन्द्र पिता श्री बलरामजी गुप्ता, 44, पटेल मार्ग, धार रोड, मनावर, जिला धार एवं ई-27-28, देवकी अपार्टमेन्ट, फ्लेट नंबर 301-302, साकेत नगर, इंदौर के नाम से जाना जाता था. मुझे अब सुरेशचन्द्र पिता श्री बलरामजी खण्डेलवाल, 44, पटेल मार्ग, धार रोड, मनावर, जिला धार एवं ई-27-28, देवकी अपार्टमेन्ट, फ्लेट नंबर 301-302, साकेत नगर, इंदौर के नाम से जाना जाता हूं. अब भविष्य में मुझे सुरेशचन्द्र पिता बलरामजी खण्डेलवाल के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(सुरेशचन्द्र)
पिता श्री बलरामजी गुप्ता

नया नाम :
(सुरेशचन्द्र)
पिता श्री बलराम जी खण्डेलवाल,
44, पटेल मार्ग, धार रोड, मनावर, जिला धार एवं
ई-27-28, देवकी अपार्टमेन्ट, फ्लेट नंबर 301-302,
साकेत नगर, इंदौर (म. प्र.).

(628-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे रवि पिता सुरेशचन्द्रजी खण्डेलवाल, 44, पटेल मार्ग, धार रोड, मनावर, जिला धार एवं ई-27-28, देवकी अपार्टमेन्ट, फ्लेट नंबर 301-302, साकेत नगर, इंदौर के नाम से जाना जाता था. मुझे अब रविन्द्र कुमार पिता सुरेशचन्द्र जी खण्डेलवाल, 44, पटेल मार्ग, धार रोड, मनावर, जिला धार एवं ई-27-28, देवकी अपार्टमेन्ट, फ्लेट नंबर 301-302, साकेत नगर, इंदौर के नाम से जाना जाता हूं. अब भविष्य में मुझे रविन्द्र पिता सुरेशचन्द्रजी खण्डेलवाल के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(रवि)
पिता सुरेशचन्द्र गुप्ता

नया नाम :
(रविन्द्र)
पिता सुरेशचन्द्रजी खण्डेलवाल
44, पटेल मार्ग, धार रोड, मनावर, जिला धार एवं
ई-27-28, देवकी अपार्टमेन्ट, फ्लेट नंबर 301-302,
साकेत नगर, इंदौर (म. प्र.).

(629-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मेरी 8वीं की मार्कशीट में द्वारिका प्रसाद है तथा 10वीं की मार्कशीट में द्वारिका प्रसाद सेन अंकित है. अन्य दस्तावेजों में मेरा घरू नाम संतोष कुमार सेन है. दोनों नाम मेरे ही हैं. अत: भविष्य में मुझे संतोष के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(द्वारिका प्रसाद/द्वारिका प्रसाद सेन)

नया नाम :
(संतोष)
निवासी—ग्राम पाण्डोला, पोस्ट पाण्डोला,
तह. बड़ौदा, जिला श्योपुर (म. प्र.).

(630-बी.)

NOTICE

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm **"M/s SHIVACON"** of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00157/2013, Dated 05-07-2013 undergone the following changes:-

1. That **"M/s SHIVACON"** shall be continue to carry on the business of Partnership from 136, Om Shiv Nagar, Lalghati, Bhopal firm w. e. f. 25-08-2014.
2. That Shri Anand Varma S/o Shri Rajaram Varma has expressed has joined the Partnership firm w. e. f. 25-08-2014 and Shri Manoj Sharma S/o Shri Manohar Sharma has expressed has desire to retire from the Partnership firm w. e. f. 25-08-2014.

"M/s SHIVACON"

RamBadan Varma,

136, Om Shiv Nagar,
Lalghati, Bhopal (M.P.).

(625-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म पी. पी. राठौर एण्ड कम्पनी, पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00362/10, सन् 2009-2010, दिनांक 24-02-2010 पर पंजीयन है तथा पंजीयन के समय फर्म में कुल 8 भागीदारगण थे. उक्त फर्म में उक्त 8 भागीदारों के साथ ही दिनांक 10-02-2015 से श्रीमती प्रमिला राठौर पत्नी श्री के. राठौर, आयु 48 वर्ष, म. नं. 118, आराधना नगर, कोटरा रोड, भोपाल, पक्षकार क्रमांक-9, श्री आकाश राठौर पुत्र श्री के. राठौर, आयु 26 वर्ष, म. नं. 1148, आराधना नगर, कोटरा रोड, भोपाल, पक्षकार क्रमांक-10 कु. हिना राठौर पुत्री श्री के. राठौर, आयु 24 वर्ष, म. नं. 118, आराधना नगर, कोटरा रोड, भोपाल, पक्षकार क्रमांक-11, श्री मुकेश राठौर पुत्र स्व. श्री भगवानदास जी राठौर, आयु 53 वर्ष, लोहिया बाजार, गुब्बारा फाटक, लश्कर, ग्वालियर-1, पक्षकार क्रमांक-12 एवं श्री निर्मल सिंह राठौर पुत्र श्री मुकेश राठौर, आयु 29 वर्ष, फ्लेट नं. 202, राजश्री अपार्टमेन्ट, खुर्जे वाला मोहल्ला, दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर, म. प्र., पक्षकार क्रमांक-13 के रूप में सम्मिलित हुये हैं. इस प्रकार वर्तमान में फर्म में कुल 13 भागीदार रहेंगे.

कैलाश राठौर
वास्ते—मेसर्स पी. पी. राठौर एण्ड कम्पनी,
48, सूर्या हाऊस, न्यू एम. पी.,
(626-बी.) एम. एल. ए. कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.).

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. पीताम्बरा स्टोन्स, ग्वालियर में दिनांक 21-08-2014 को 1. श्रीमती सुनीता भल्ला फर्म में प्रवेश कर रही हैं तथा श्रीमती प्रीति गुप्ता फर्म से स्वेच्छा से अवकाश प्राप्त कर रही हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

हनी ठक्कर
फर्म—पीताम्बरा स्टोन्स,
पता—ठक्कर बिल्डिंग, फूलबाग के सामने,
(627-बी.) गुरूद्वारा, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

पार्टनरशिप फर्म गठन का सूचना-पत्र

मैसर्स राज राजेश्वरी बिल्डर्स डेव्लपर्स एण्ड कालोनाईजर, 58, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल का 11 जनवरी, 2011 को विधिवत् रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का गठन किया गया जिसके अंतर्गत निम्न पार्टनर्स का अंश पूंजी प्रतिशत के साथ (1) रोहित सिंह चौहान आत्मज श्री प्रेमसिंह चौहान, निवासी—13, ब्लुवर्ड आकृति इकोसिटी ई-8, एक्सटेंशन, बावडिया कलॉ, भोपाल अंश पूंजी 16.66%, (2) अभिषेक वर्मा आत्मज श्री बलिराम वर्मा, निवासी 73, रोहित नगर, ई-8, एक्सटेंशन, बावडिया कलॉ, भोपाल अंश पूंजी 16.67%, (3) कृष्ण कुमार ठाकुर आत्मज श्री कमल सिंह ठाकुर, निवासी—38, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल, अंशपूंजी 33.33%, (4) विक्रम सिंह किरार आत्मज श्री उत्तम सिंह किरार, निवासी—म. नं. 47, त्रिलंगा, त्रिलोचन नगर, भोपाल, अंशपूंजी 33.33% के साथ गठन किया गया.

2. पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन के तहत उपरोक्त पार्टनर में से प्रथम पार्टनर श्री रोहित सिंह चौहान ने अपना त्यागपत्र एवं समस्त उत्तरदायित्व श्री अभिषेक वर्मा को दिनांक 31-03-2013 को हस्तांतरित कर दिया गया है. इसके पश्चात् अभिषेक वर्मा की अंशपूँजी 33.34% एवं बाकी साझेदारों की अंशपूंजी 33.33% यथावत रखी गई. (3) पार्टनरशिप का पुनर्गठन दिनांक 11-11-2014 के तहत उपरोक्त दिनांक 31-03-2013 को पुनर्गठित नवीन साझेदारी विलेख अनुसार चतुर्थ साझेदार श्री निलेश चौधरी आत्मज स्व. श्री त्रिभुवन सिंह, निवासी 73, रोहित नगर, बावड़िया कलॉ, भोपाल को अंशपूंजी 5% से साझेदार बनाया गया. इस प्रकार श्री अभिषेक वर्मा की अंशपूंजी 35% एवं श्री विक्रम सिंह किरार की अंशपूंजी 35% एवं श्री कृष्णकुमार ठाकुर की अंशपूंजी 25% के मान से नवीन पुनर्गठन किया गया. इस पार्टनरशिप पुनर्गठन के नवीन ऑफिस राज राजेश्वरी बिल्डर्स डेव्लपर्स एण्ड कालोनाईजर 121, पृथ्वी कॉम्पलेक्स, चंदिका सोसायटी बावडिया कलां, भोपाल में सम्पर्क कर सकते हैं.

अभिषेक वर्मा,
(भागीदार)
फर्म—मैसर्स राज राजेश्वरी बिल्डर्स डेव्लपर्स एण्ड कालोनाईजर
(631-बी.) 58, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल.

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर

अशोकनगर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

क्र./एस.सी.-2/9-20/2015.—सामान्य पुस्तक प्रपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक /एम 3-4/2014/1/4, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 में विहित शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर, जिला अशोकनगर वर्ष 2015 के लिये अशोकनगर जिले में तीन स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) पूर्ण दिवस के निम्नानुसार घोषित करता हूँ:—

क्र.	दिनांक	दिन (वार)	अवकाश का दिन
1.	10 मार्च, 2015	मंगलवार	रंगपंचमी
2.	12 अक्टूबर, 2015	सोमवार	सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या
3.	12 नवम्बर, 2015	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन गोवर्धन पूजा.

उपर्युक्त अवकाश कोषालय, उप-कोषालय एवं बैंकों पर लागू नहीं होंगे:—

आर. बी. प्रजापति,
कलेक्टर.

(110)

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2015

क्र./जी.बी./दो(10)2015/474.—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल में जीवित पंजीकृत समस्त जिल्दसाजों से बाईंडिंग एवं अन्य कार्य कराने हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित निविदा प्रपत्र में तकनीकी एवं कामर्शियल निविदा (पृथक-पृथक लिफाफों में सीलबन्द कर) दिनांक 12 मार्च, 2015 अपरान्ह 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है. निविदा प्रपत्र रुपये 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर दिनांक 11 मार्च, 2015 अपरान्ह 4.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में क्रय किये जा सकते हैं. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा. निविदा प्रपत्र को मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईट **www.tenders.gov.in** एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर भी रखा गया है.

2. वेबसाईट से डाऊनलोड कर प्रस्तुत किये जा रहे निविदा प्रपत्र के साथ राष्ट्रीकृत/अनुसूची बैंक का रुपये 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल के पक्ष में तैयार कर संलग्न करना होगा. संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार की जायेगी.

3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 12 मार्च, 2015 अपरान्ह 3.00 बजे निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण उपरांत वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि एवं समय की सूचना शासकीय वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी. डाक विभाग से निविदा आदि भेजने एवं इस कार्यालय में प्राप्त करने आदि में हुए विलम्ब के लिये नियंत्रक कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा.

4. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नियंत्रक के पास सुरक्षित रहेगा.

अरूण तिवारी,
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(118)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

गौ-रक्षा, गौशाला ट्रस्ट, कार्यालय 203, स्वदेश भवन, प्रेस काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश, की ओर श्री अनिल शर्मा पिता स्व. हीरालाल शर्मा, निवासी 9/22, नेहरू नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	गौ-रक्षा, गौशाला ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	203, स्वदेश भवन, प्रेस काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र)

आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(112)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

संस्कार समूह न्यास, कार्यालय-21, सी. ई. स्कीम नं. 71, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर श्री राजेन्द्र जैन पिता श्री कल्याणजी जैन, निवासी 21, सी. ई. स्कीम नं. 71, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	संस्कार समूह न्यास.
कार्यालय पता	:	21, सी. ई. स्कीम नं. 71, इन्दौर, म.प्र.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र)

आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(112-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री माहेश्वरी प्रकल्प सेवा ट्रस्ट, कार्यालय 436, गुमास्ता नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर श्री बालकिशन सोनी पिता स्व. श्री लालचंद सोनी, निवासी 436, गुमास्ता नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री माहेश्वरी प्रकल्प सेवा ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	436, गुमास्ता नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 21,000/- (रुपये इक्किस हजार मात्र.)

आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(112-B)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्रीमती पानकुमारी तोमर चेरिटेबल ट्रस्ट, कार्यालय 68, ग्रेटर तिरुपति कॉलोनी, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर श्री नरेन्द्र सिंह पिता श्री कन्हैया सिंह तोमर, निवासी ग्राम पिवडाय, तहसील व जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्रीमती पानकुमारी तोमर चेरिटेबल ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	68, ग्रेटर तिरुपति कॉलोनी, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र.).

आज दिनांक 5 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(112-C)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

"जैन श्वेताम्बर सोशल ग्रुप्स फेडरेशन ट्रस्ट" कार्यालय जी-1, मंगलम हाईट्स 19/16 ई, विश्राम कॉलोनी, वाय. एन. रोड, इन्दौर की ओर

श्री प्रकाशचंद्र पिता अम्बालाल भटेवरा, निवासी-जी-1, मंगलम हाईट्स 19/16 ई, विश्राम कॉलोनी, वाय. एन. रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	''जैन श्वेताम्बर सोशल ग्रुप्स फेडरेशन ट्रस्ट''.
कार्यालय पता	:	जी-1, मंगलम हाईट्स 19/16 ई, विश्राम कॉलोनी, वाय. एन. रोड, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र.).

आज दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(112-D)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''अखिल भारतीय जैन श्वेताम्बर सोशल ग्रुप्स फेडरेशन ट्रस्ट'' कार्यालय जी-1, मंगलम हाईट्स 19/16 ई विश्राम कॉलोनी, वाय. एन. रोड, इन्दौर की ओर श्री प्रकाशचंद्र पिता अम्बालाल भटेवरा, निवासी जी-1, मंगलम हाईट्स 19/16 ई, विश्राम कॉलोनी, वाय. एन. रोड, इन्दौर , मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	''अखिल भारतीय जैन श्वेताम्बर सोशल ग्रुप्स फेडरेशन ट्रस्ट''
कार्यालय पता	:	जी-1, मंगलम हाईट्स 19/16 ई, विश्राम कॉलोनी, वाय. एन. रोड, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र.).

आज दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

डी. के. नागेन्द्र,
पंजीयक.

(112-E)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी चांचौड़ा, जिला गुना

प्र.क्र./01/बी-113/2014-15. चांचौड़ा, दिनांक 06 फरवरी, 2015

फार्म-4

[देखिए नियम-5]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, उपखण्ड चांचौड़ा, जिला गुना के समक्ष.

अत: कि श्री वेद माता गायत्री शक्ति पीठ चांचौड़ा, की और से प्रबंध ट्रस्टी बालकृष्ण शर्मा एवं समस्त ट्रस्टीगण, निवासी चांचौड़ा, तहसील चांचौड़ा, जिला गुना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 10 मार्च, 2015 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	..	श्री वेद माता गायत्री शक्ति पीठ चांचौड़ा,
सम्पत्ति का विवरण	..	ग्राम चांचौड़ा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 139/2 रकबा 0.018 हे. जिसमें मंदिर परिसर एवं कार्यालय पक्का आर. सी. सी. का बना है. उपरी मंजिल पर शिखर स्थित है. कुल 01 मूर्ति संगमरमर की वेद माता गायत्री की प्रतिमा विराजमान है.

(113)

प्र.क्र./02/बी-113/2013-14. चांचौड़ा, दिनांक 06 फरवरी, 2015

फार्म-4

[देखिए नियम-5]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, उपखण्ड चांचौड़ा, जिला गुना के समक्ष.

अत: कि श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम ट्रस्ट बीनागंज की ओर से महामण्डलेश्वर संत अभिरामदास शिष्य श्री परमेश्वरदास जी त्यागी हॉल, निवासी ग्राम रामटेकरी तपोवन धाम देदला, तहसील चांचौड़ा, जिला गुना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 10 मार्च, 2015 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	..	श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम ट्रस्ट, बीनागंज.
सम्पत्ति का विवरण	.. ..	ग्राम खातौली में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 17 मिन-4 रकबा 0.017 हे. जिसमें विशाल हनुमान मंदिर गर्वगृह बना है. जिसमें एक हॉल, पुष्प वाटिका, एम. बी. रोड़ किनारे 17 दुकानें, खाली चौक, आश्रम प्रांगण है

भूपेन्द्र सिंह परस्ते,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(113-A)

न्यायालय रजिस्ट्रार, लोक न्यास एवं उपखण्ड अधिकारी, सिंगरौली, जिला सिंगरौली

प्र.क्र./82/2015. सिंगरौली, दिनांक 21 जनवरी, 2015

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक उपखण्ड सिंगरौली, जिला सिंगरौली के समक्ष.

यत: कि आवेदक माधो प्रसाद लोहिया मुख्य प्रबंधक ट्रस्ट, गायत्री परिवार ट्रस्ट, सिंगरौली, शक्ति पीठ गायत्री मंदिर रोड, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

नाम	. .	गायत्री परिवार ट्रस्ट, सिंगरौली.
पता	. .	गायत्री मंदिर रोड, पो. मोरवा, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
सम्पत्ति का विवरण	. .	आराजी नं. 347/1, रकबा 0.202 हे. एवं 358 रकबा 0.036 हे.

(114)

प्र.क्र./83/2015. सिंगरौली, दिनांक 21 जनवरी, 2015

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक उपखण्ड सिंगरौली, जिला सिंगरौली के समक्ष.

यत: कि आवेदक पुजारी हनुमान मंदिर वैढ़न, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

नाम	. .	हनुमान मंदिर वैढ़न, जिला सिंगरौली.
पता	. .	कार्यालय तहसीलदार सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
सम्पत्ति का विवरण	. .	दान एवं अनुदान.

स्वरोचिष सोमवंशी,
पंजीयक एवं उपखण्ड अधिकारी.

(114-A)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वृत्त गोविन्दपुरा, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र.231/अ.वि.अ./वृतगो.15.—जैसाकि आवेदक संस्था शीव सामर्थ योग न्यास, 25 बसंत कुंज अयोध्या बायपास पिपलानी, भोपाल, मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2015 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	शीव सामर्थ योग न्यास, 25 बसंत कुंज अयोध्या बायपास पिपलानी, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	5000/-रुपये.

संदीप केरकेट्टा,
अनुविभागीय अधिकारी (शहर).

(115)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभाग, मुरैना

मुरैना, दिनांक 23 जनवरी, 2015

प्र. क्र. 01/14-15/बी-113.

प्रति,

बनाम :—हर आम जनता, मुरैना.

जर्ये उद्घोषणा द्वारा हर आम जनता, मुरैना को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संजय महेश्वरी पुत्र श्री दिनेश चन्द्र महेश्वरी, निवासी सदर बाजार, मुरैना के द्वारा "श्री जांवधियां चेरिटेबल ट्रस्ट" कार्यालय का स्थायी पता सदर बाजार मुरैना मध्यप्रदेश लोक न्यास पंजीयन 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत गठन किये जाने संबंध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसका विवरण निम्नानुसार है.—

1. न्यास का पूरा नाम— "श्री जांवधियां चेरिटेबल ट्रस्ट".
2. न्यास कार्यालय का स्थायी पता— सदर बाजार, मुरैना, मध्यप्रदेश.
3. लोक न्यास का उद्गम, प्रकृति और उद्देश्य— आम जनता के भलाई के लिये सार्वजनिक धर्मशाला का निर्माण करना एवं उनका संचालन करना, सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करना, शिक्षा, संचार, आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराना, विकलांग व्यक्तियों के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना आदि.
4. न्यास की चल/अचल संपत्ति का विवरण—10,000/-
5. न्यास की आय का स्रोत—न्यासी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा दान में दी गई राशि.

उक्त ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 45 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें. अवधि समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 13 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

अशोक कम्ठान,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(116)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (ग्रामीण), रतलाम

क्र. /बी-113(1)/2014-15. रतलाम, दिनांक 27 जनवरी, 2015

फॉर्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 (2) के तहत]

क्र. /आर-3/15.—आवेदक अध्यक्ष, मनोहरलाल पिता जडावचंदजी जैन, निवासी सुषमा अपार्टमेंट नम्बर-1, 16/1 रेसकोर्स रोड, इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत "ग्राम सेमलिया में श्री शांतिनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ चेरिटेबल ट्रस्ट" के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो अथवा आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 26 फरवरी, 2015 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होवें. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम : श्री शांतिनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ चेरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम सेमलिया, तहसील रतलाम, मध्यप्रदेश.

सम्पत्ति का विवरण—

अनुसूची-अ

(चल सम्पत्ति का विवरण)

क्र.	सम्पत्ति का विवरण	मूल्य
1.	चाँदी एवं चाँदी के आभूषण अंगी, मुकुट, पाखर, कुण्डल आदि	11,04,116.00
2.	अखण्ड ज्योत की F.D. No. 6407088 यूनियन बैंक नामली	71,991.00
3.	स्वामी वात्सल्य की F.D. No. 6407090 यूनियन बैंक नामली	92,046.00
4.	स्वामी वात्सल्य की F.D. No. 6407217 यूनियन बैंक नामली	55,000.00
5.	मंदिर की F.D. No. 432400 यूनियन बैंक नामली	2,00,000.00
6.	मंदिर जी की F.D. No. 064667 यूनियन बैंक नामली	2,00,000.00
7.	मंदिर का सेविंग खाता नम्बर-308 यूनियन बैंक नामली	16,93,144.46
8.	मंदिर का सेविंग खाता नम्बर-9542 यूनियन बैंक रतलाम	4,99,872.48
9.	मंदिर का सेविंग खाता नम्बर-3195 बैंक ऑफ इण्डिया नामली	43,271.00
10.	अखण्ड ज्योत सेविंग खाता नम्बर-3341 यूनियन बैंक नामली	14,647.18
11.	स्वामी वात्सल्य सेविंग खाता नम्बर-2444 यूनियन बैंक नामली	60,085.67
12.	रसोई, खाने-पीने के बरतन व मंदिर जी से संबंधित बरतन	66,339.00
13.	उपाश्रय का सामान	25,000.00
14.	मंदिरजी के कार्यालय व धर्मशाला का सामान.	50,000.00

अनुसूची-ब

(अचल सम्पत्ति का विवरण)

क्र.	सम्पत्ति का विवरण	मूल्य
1.	श्री मंदिरजी	अमूल्य
2.	उपाश्रय भवन मंदिरजी से लगा हुआ	50,000.00
3.	धर्मशाला मकान मंदिर से लगत	30,000.00
4.	मकान मंदिरजी के सामने	20,000.00
5.	मंदिरजी के पीछे धर्मशाला-रसोईघर	30,000.00
6.	शांति भवन--सदर बाजार सेमलिया	50,000.00
7.	खण्डहर	10,000.00

क्र.	सम्पत्ति का विवरण	मूल्य
8.	खेती की भूमि सर्वे नम्बर-473 रकबा 0.210 हैक्टर, सर्वे नम्बर 950 रकबा 0.010 हैक्टर, सर्वे नम्बर 951/1 रकबा 0.440 हैक्टर, सर्वे नम्बर 951/3 रकबा 1.940 हैक्टर, सर्वे नम्बर 993 रकबा 2.050 हैक्टर, जो तत्कालीन महाराजा द्वारा दी गई.	1,00,000.00
9.	खुली भूमि मंदिरजी के पीछे-ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई	1,76,031.00
10.	सदर बाजार सेमलिया में मकान जो दान में सन्-1998 में प्राप्त हुआ.	50,000.00

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-4 मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान श्री शांतिनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राम सेमलिया, तहसील व जिला रतलाम के पंजीयन हेतु.

1.	अध्यक्ष	मनोहरलाल पिता श्री जड़ावचंदजी जैन, आयु 72 वर्ष, निवासी सुषमा अपार्टमेंट नम्बर-1 16/1, रेसकोर्स रोड, इन्दौर, (मध्यप्रदेश).
2.	उपाध्यक्ष	अशोककुमार पिता श्री शांतिलाल जी नाहटा, आयु 56 वर्ष, निवासी जैन मंदिर के पास, सेमलिया तीर्थ, स्टेशन नामली, जिला रतलाम, (मध्यप्रदेश).
3.	सचिव	नरेन्द्रकुमार पिता श्री सुजानमल जी सोलंकी, आयु 47 वर्ष, निवासी जैन मंदिर के पास, सेमलिया तीर्थ, स्टेशन नामली, जिला रतलाम, (मध्यप्रदेश).
4.	कोषाध्यक्ष	दिलीपकुमार पिता शांतिलाल जी सुराणा, आयु 45 वर्ष, निवासी सदर बाजार, सेमलिया तीर्थ, स्टेशन नामली, जिला रतलाम, (मध्यप्रदेश).
5.	सदस्य	नथमल पिता श्री बच्छराज जी पितलिया, आयु 75 वर्ष, निवासी 119, चाँदनी चौक, जिला रतलाम, (मध्यप्रदेश).
6.	सदस्य	सुभाषचंद्र पिता श्री रतनलाल जी चत्तर, आयु 60 वर्ष, निवासी जैन मंदिर के पास, सेमलिया तीर्थ, स्टेशन नामली, जिला रतलाम, (मध्यप्रदेश).
7.	सदस्य	राजेशकुमार पिता श्री नाहरसिंह जी चौरड़िया, आयु 40 वर्ष, निवासी जैन मंदिर के पास, सेमलिया तीर्थ, स्टेशन नामली, जिला रतलाम, (मध्यप्रदेश).
8.	सदस्य	दिलीपकुमार पिता श्री मोतीलाल जी सुराणा, आयु 45 वर्ष, निवासी गढ़ के पास, सेमलिया तीर्थ, स्टेशन नामली, जिला रतलाम, (मध्यप्रदेश).
9.	सदस्य	संजयकुमार पिता श्री सौभागमल जी सामसुखा, आयु 41 वर्ष, निवासी सदर बाजार, सेमलिया तीर्थ, स्टेशन नामली, जिला रतलाम, (मध्यप्रदेश).
10.	सदस्य	जुगराज पिता श्री त्रिलोकचंदजी जैन मुंठलिया, आयु 58 वर्ष, निवासी ओलपिया गेम्स एण्ड टॉयस प्रा. लि., 5-6-32 बोहरा बिल्डिंग 3, रोड मुंबादेवी हाई स्कूल के पास, खार (वेस्ट), मुंबई (महाराष्ट्र)43052.

.... प्रार्थीगण

मान्यवर महोदय,

उपरोक्त प्रार्थीगण ट्रस्टीगण ट्रस्ट पंजीयन कराने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हैं:-

ग्राम सेमलिया स्थित प्राचीनतम तीर्थ के विकास एवं जीर्णोद्धार तथा नवीन निर्माण करने तथा समस्त कार्य करने और तीर्थ स्थित समस्त चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण करते हुए उसके प्राचीन महत्व को अक्षुण्ण रखने तथा तीर्थ पर आने वाले दर्शनार्थी को समस्त आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने की ट्रस्टी से देवसुर तपागच्छ जैन श्वेताम्बर चारथुई की मान्यता वाले सदस्यों ने मिलकर मंदिरजी की सुचारु व्यवस्था के लिये ट्रस्ट मण्डल का गठन कर विधिवत् ट्रस्ट का पंजीयन सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दिनांक 20 मई, 2001 को कराया है. जिसकी ट्रस्ट डीड की प्रतिलिपि संलग्न है. उक्त ट्रस्ट को सार्वजनिक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराना आवश्यक होने से यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत है.

यह है कि पूर्व में ट्रस्ट डीड का पंजीयन नियमानुसार सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दिनांक 20 मार्च, 2001 को कराया था. जिसका पंजीयन क्रमांक-4 अ/197 है. अब विधिवत उक्त ट्रस्ट डीड को संशोधित कर उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत है.

अतएव प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त ट्रस्ट का पंजीयन किये जाने बाबत् आदेश फरमावें. यह विनय है.

अवधेश शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(117)

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

(आदेश)

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी, 2015

क्र. ई-1/27/2015/5/एक.—सुश्री नेहा मारव्या, भाप्रसे (2011) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016/1/87-Estt. (A), दिनांक 12 मार्च, 1987 में निहित प्रावधानानुसार "सुश्री नेहा मारव्या" का नाम परिवर्तन कर अब "श्रीमती नेहा मारव्या सिंह " (Smt. Neha Marvya Singh) करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तद्नुसार सभी कार्यालयीन प्रजोजनों के लिये अब उन्हें श्रीमती नेहा मारव्या सिंह (Smt. Neha Marvya Singh) नाम से जाना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय,
प्रमुख सचिव 'कार्मिक'
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

(111)

(आदेश)

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी, 2015

क्र. ई-1/24/2015/5/एक.—सुश्री सुरभि सिन्हा, भाप्रसे (2008) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016/1/87-Estt. (A), दिनांक 12 मार्च, 1987 में निहित प्रावधानानुसार "सुश्री सुरभि सिन्हा" का नाम परिवर्तन कर अब "श्रीमती सुरभि गुप्ता " (Smt. Surbhi Gupta) करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तद्नुसार सभी कार्यालयीन प्रजोजनों के लिये अब उन्हें श्रीमती सुरभि गुप्ता (Smt. Surbhi Gupta) नाम से जाना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय,
प्रमुख सचिव 'कार्मिक'
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

(111-A)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला खरगोन

दिनांक 31 जनवरी, 2015

क्र./परि./क्यू./2015.—कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्र./परि./2014/245, दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम
1.	विवेकानंद प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., बड़वाह
2.	नर्मदा प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., सनावद
3.	उन्नत कृषि साख सह. संस्था मर्या., सनावद
4.	उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., रतनपुर
5.	कृषक भारती फसल सुरक्षा सह. समिति मर्या., डाल्याखेडी
6.	माँ मेकल खनिज सहकारी समिति मर्या., कटघडा
7.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., चन्दनपुरा, बड़वाह

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, भूषण जड़े उप-अंकेक्षक, जिला खरगोन एवं परिसमापक उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण आदि के मुझे लिखित में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं होगा. संस्था के लेखा पुस्तकों में लेख बद्ध समस्त दायित्व मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये है. समझे जावेंगे.

भूषण जड़े,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(105)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1881/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बोलखेडी, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बोलखेडी, पंजीयन क्रमांक 1357, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-T)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1882/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खापामाल, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खापामाल, पंजीयन क्रमांक 1358, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(103-U)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1883/मण्डला, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,

विजयपुर, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ, मध्यप्रदेश, भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, विजयपुर, पंजीयन क्रमांक 1359, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. सी. अग्रवाल,
सहायक रजिस्ट्रार.

(103-V)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रघुराजगढ़, पंजीयन क्रमांक 59/1190, दिनांक 11 मई, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1936, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रघुराजगढ़, पंजीयन क्रमांक 59/1190, दिनांक 11 मई, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टिकुरा, पंजीयन क्रमांक 69/1191, दिनांक 04 जून, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/ 2014/1937, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टिकुरा, पंजीयन क्रमांक 69/1191, दिनांक 04 जून, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल.. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

सरदार वल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मीटा, पंजीयन क्रमांक 63/1192, दिनांक 22 मई, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/ 2014/1938, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मीटा, पंजीयन क्रमांक 63/1192, दिनांक 22 मई, 2010/ 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोगिनहाई, पंजीयन क्रमांक 118/1195, दिनांक 07 अप्रैल, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1939, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोगिनहाई, पंजीयन क्रमांक 118/1195, दिनांक 07 अप्रैल, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., व्योहरा, पंजीयन क्रमांक 117/1194, दिनांक 07 अप्रैल, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1940, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ब्योहरा, पंजीयन क्रमांक 117/1194, दिनांक 07 अप्रैल, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महुली, पंजीयन क्रमांक 119/1194, दिनांक 07 अप्रैल, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1941, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महुली, पंजीयन क्रमांक 119/1194, दिनांक 07 अप्रैल, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

पटिया बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटिया , पंजीयन क्रमांक 02/1197, दिनांक 17 अक्टूबर, 2002/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यतः साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1942, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए पटिया बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटिया, पंजीयन क्रमांक 02/1197, दिनांक 17 अक्टूबर, 2002/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरिया, पंजीयन क्रमांक 38/1198, दिनांक 08 मार्च, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यतः साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1943, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरिया, पंजीयन क्रमांक 38/1198, दिनांक 08 मार्च, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री अनिल गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

देव किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बढ़ैया, पंजीयन क्रमांक 96/1199, दिनांक 10 जनवरी, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1944, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए देव किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बढ़ैया, पंजीयन क्रमांक 96/1199, दिनांक 10 जनवरी, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

पडरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरा , पंजीयन क्रमांक 106/1202, दिनांक 18 मार्च, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/ 2014/1945, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए पडरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरा , पंजीयन क्रमांक 106/1202, दिनांक 18 मार्च, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

विभावरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलौहीकला, पंजीयन क्रमांक 76/1170, दिनांक 12 जुलाई, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/ 2014/1946, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए विभावरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलौहीकला, पंजीयन क्रमांक 76/1170, दिनांक 12 जुलाई, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

देव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिहिया, पंजीयन क्रमांक 26/1171, दिनांक 25 नवम्बर, 2009/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1947, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए देव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिहिया, पंजीयन क्रमांक 26/1171, दिनांक 25 नवम्बर, 2009/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

शंकर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरगांव, पंजीयन क्रमांक 30/1172, दिनांक 25 जनवरी, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1948, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए शंकर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरगांव, पंजीयन क्रमांक 30/1172,, दिनांक 25 जनवरी, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रकाश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रायपुर, पंजीयन क्रमांक 44/1174, दिनांक 26 मार्च, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड त्योथर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2) (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/ 2014/1949, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए प्रकाश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रायपुर, पंजीयन क्रमांक 44/1174, दिनांक 26 मार्च, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड त्योथर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

भाग्योदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महरी, पंजीयन क्रमांक 34/1142, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1953, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए भाग्योदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महरी, पंजीयन क्रमांक 34/1142, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री अनिल गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

सत्यम् बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पैपरवार, पंजीयन क्रमांक 52/1143, दिनांक 28 अप्रैल, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1954, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए सत्यम् बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पैपरवार, पंजीयन क्रमांक 52/1143, दिनांक 28 अप्रैल, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

विन्ध्यांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मऊगंज, पंजीयन क्रमांक 05/1145, दिनांक 05 मई, 2003/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड मऊगंज, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1956, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए विन्ध्यांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मऊगंज, पंजीयन क्रमांक 05/1145, दिनांक 05 मई, 2003/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड मऊगंज, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

भागवत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अटरिया, पंजीयन क्रमांक 65/1147, दिनांक 24 मई, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1957, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए भागवत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अटरिया, पंजीयन क्रमांक 65/1147, दिनांक 24 मई, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

आस्था बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वराँव, पंजीयन क्रमांक 129/1151, दिनांक 19 जुलाई, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1958, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए आस्था बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वराँव, पंजीयन क्रमांक 129/1151, दिनांक 19 जुलाई, 2011/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरवाह, पंजीयन क्रमांक 51/1152, दिनांक 24 अप्रैल, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1959, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरवाह, पंजीयन क्रमांक 51/1152, दिनांक 24 अप्रैल, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

बघेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इटहा, पंजीयन क्रमांक 68/1154, दिनांक 25 मई, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1960, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बघेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इटहा, पंजीयन क्रमांक 68/1154, दिनांक 25 मई, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

रामपाल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंजारी, पंजीयन क्रमांक 72/1155, दिनांक 16 जून, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलीयान, जिला रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1961, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए रामपाल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंजारी, पंजीयन क्रमांक 72/1155, दिनांक 16 जून, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलीयान, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

जयबलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिसार, पंजीयन क्रमांक 56/1153, दिनांक 04 मई, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1962, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए जयबलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिसार, पंजीयन क्रमांक 56/1153, दिनांक 04 मई, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(106-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

हनुमान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरी, पंजीयन क्रमांक 36/1156, दिनांक 26 अक्टूबर, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है, जो सहकारी अधिनियम, नियम,उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2)(ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं करने या कार्य करना बंद कर दिये जाने, धारा-69 (2)(बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2)(सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1963, रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया, लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए हनुमान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरी, पंजीयन क्रमांक 36/1156, दिनांक 26 अक्टूबर, 2010/28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत श्री अनिल गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि 02 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

परमानंद गोडरिया,
उप-पंजीयक.

(106-W)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/871, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा दूरसंचार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दूर संचार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 642, दिनांक 08 अगस्त, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ठाकुर प्रसाद, वरि. सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/873, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 600, दिनांक 31 मार्च, 1980 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, वरि. सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/874, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा सतना पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सतना पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 213, दिनांक 30 सितम्बर, 1995 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजीव श्रीवास्तव, वरि. सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/875, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा इंदिरा महिला साख सहकारी समिति मर्या., सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत इंदिरा महिला साख सहकारी समिति मर्या., सतना,

पंजीयन क्रमांक....., दिनांक....., को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/876, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा गायत्री यातायात सहकारी समिति मर्या., सुभाष चौक सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत गायत्री यातायात सहकारी समिति मर्या., सुभाष चौक सतना, पंजीयन क्रमांक 524, दिनांक 11 मई, 2005 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/877, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी सप्लाई निर्माण सहकारी समिति मर्या., महदेवा सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी सप्लाई निर्माण सहकारी समिति मर्या., महदेवा सतना, पंजीयन क्रमांक 207, दिनांक 27 जुलाई, 1995 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजेश अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/881, दिनांक 18 जनवरी, 2014 द्वारा स्टेशनरी कॉपी निर्माता जनरल उद्योग सहकारी समिति मर्या., सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत स्टेशनरी कॉपी निर्माता जनरल उद्योग सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 29 अगस्त, 1981 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजेश अग्रवाल,

सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/880, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा स्टेशनरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कृष्ण नगर सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत स्टेशनरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कृष्ण नगर सतना, पंजीयन क्रमांक 609, दिनांक 20 अप्रैल, 1981 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजेश अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/879, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा स्टेशनरी सप्लाई सहकारी समिति मर्या., सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत स्टेशनरी सप्लाई सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 197, दिनांक 30 सितम्बर, 1997 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजेश अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/882, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा हनुमान ईटा उद्योग सहकारी समिति मर्या., टिकुरिया टोला सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत हनुमान ईटा उद्योग सहकारी समिति मर्या., टिकुरिया टोला सतना, पंजीयन क्रमांक 593, दिनांक 08 जुलाई, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के

परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/883, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा पत्थर पटिया खदान सहकारी समिति मर्या., गहिरा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत पत्थर पटिया खदान सहकारी समिति मर्या., गहिरा, पंजीयन क्रमांक 256, दिनांक 03 सितम्बर, 1996 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजेश अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/884, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा हरिजन आदिवासी पत्थर पटिया खदान सहकारी समिति मर्या., कारीमाटी, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत हरिजन आदिवासी पत्थर पटिया खदान सहकारी समिति मर्या., कारीमाटी, पंजीयन क्रमांक 248, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजेश अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/885, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा जनता मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जनता मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 577, दिनांक 13 जून, 1966 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का

तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/886, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 636, दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/888, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा आशीर्वाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आशीर्वाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 540, दिनांक 25 अगस्त, 2007 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/889, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा लक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सिन्धी कैम्प सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत लक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सिन्धी कैम्प सतना, पंजीयन क्रमांक 534, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/887, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा सेन्ट्रल रेल्वे वेंडर्स कामगार सहकारी समिति मर्या., सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सेन्ट्रल रेल्वे वेंडर्स कामगार सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 565, दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/891, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा रसा. खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बंडी (नागौद), जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत रसा. खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बंडी (नागौद), पंजीयन क्रमांक 539, दिनांक 28 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री गेहचन्द्र पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/890, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा माँ दुर्गा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., जैतवारा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ दुर्गा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., जैतवारा, पंजीयन क्रमांक 538, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/892, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा कामता क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., चित्रकूट, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत कामता क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., चित्रकूट, पंजीयन क्रमांक 550, दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/894, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा हितकारिणी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बीदा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत हितकारिणी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बीदा, पंजीयन क्रमांक 386, दिनांक 02 मई, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/893, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा शिव शक्ति महिला बहु. सहकारी समिति मर्या.,बराकलां, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शिव शक्ति महिला बहु. सहकारी समिति मर्या.,बराकलां, पंजीयन क्रमांक 317, दिनांक 15 अक्टूबर, 1999 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/895, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा जगदम्बा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बांधी मौहार, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जगदम्बा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बांधी मौहार, पंजीयन क्रमांक 395, दिनांक 28 मई, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/895, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, पंजीयन क्रमांक 394, दिनांक 16 मई, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/909, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., मगराज, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., मगराज, पंजीयन क्रमांक 378, दिनांक 14 अप्रैल, 2003 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/896, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुलगढ़ी, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का

समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुलगढ़ी पंजीयन क्रमांक 424, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/900, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., देवरी, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., देवरी, पंजीयन क्रमांक 451, दिनांक 02 मई, 2003 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, वरि. सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(107-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/897, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पछीत, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पछीत, पंजीयन क्रमांक 444, दिनांक 03 मार्च, 2003 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. कन्नौजी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/901, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कैलाशपुर, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कैलाशपुर,

पंजीयन क्रमांक 472, दिनांक 11 फरवरी, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, वरि. सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/902, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पपरेंगा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पपरेंगा, पंजीयन क्रमांक 474, दिनांक 06 मार्च, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, वरि. सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/903, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुढ़वा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुढ़वा, पंजीयन क्रमांक 476, दिनांक 09 मार्च, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, वरि. सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/906, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पवैया, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पवैया, पंजीयन क्रमांक 494, दिनांक 27 अप्रैल, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रचई प्रसाद,

सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/8907, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुलुवा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुलुवा, पंजीयन क्रमांक 495, दिनांक 27 अप्रैल, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रचई प्रसाद, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/904, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., इटहा खोखर्रा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., इटहा खोखर्रा, पंजीयन क्रमांक 477, दिनांक 12 मार्च, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, वरि. सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/905, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तुर्री, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तुर्री, पंजीयन क्रमांक 483, दिनांक 13 अप्रैल, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रचई प्रसाद, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के

परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/908, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सहिजना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सहिजना, पंजीयन क्रमांक 469, दिनांक 14 जनवरी, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रचई प्रसाद, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/911, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा डेहूटा गंगा महिला बहु.सहकारी समिति मर्या., सेमरीकलां, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत डेहूटा गंगा महिला बहु.सहकारी समिति मर्या., सेमरीकलां, पंजीयन क्रमांक 388, दिनांक 25 सितम्बर, 2001 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/910, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा इंदिरा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., देवमऊ दलदल, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत इंदिरा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., देवमऊ दलदल, पंजीयन क्रमांक 449, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के

परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/912, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा शारदा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सिधौली, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शारदा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सिधौली, पंजीयन क्रमांक 980, दिनांक 31 जुलाई, 2010 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/913, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा जय अम्बे महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., करुआ, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जय अम्बे महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., करुआ, पंजीयन क्रमांक..... ....., दिनांक..... ....., को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री गेहचन्द्र पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/914, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा गंगा प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., बरहा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत गंगा प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., बरहा, पंजीयन क्रमांक 296, दिनांक 04 सितम्बर, 1998 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री गेहचन्द्र पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/915, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., बांधवगढ़ कॉलोनी, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., बांधवगढ़ कॉलोनी, पंजीयन क्रमांक 136, दिनांक 01 नवम्बर, 1994 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/916, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा द एजूकेशन स्टाफ स्टूडेंड को.-आ. स्टोर मर्या., सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत द एजूकेशन स्टाफ स्टूडेंड को.-आ. स्टोर मर्या., सतना, पंजीयन क्रमांक 573, दिनांक 14 नवम्बर, 1972 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/917, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा हनुमान प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., बेलहटा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत हनुमान प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., बेलहटा, पंजीयन क्रमांक 306, दिनांक 03 अप्रैल, 1999 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री गेहचन्द्र पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/918, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला प्रा. सह. उप. भण्डार मर्या., वार्ड क्र.1, सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला प्रा. सह. उप. भण्डार मर्या., वार्ड क्र.1, सतना, पंजीयन क्रमांक 152, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/919, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला प्रा. सह. उप. भण्डार मर्या., धवारी (सतना), जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला प्रा. सह. उप. भण्डार मर्या., धवारी (सतना), पंजीयन क्रमांक 152, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(108-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./14/920, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला प्रा. सह. उप. भण्डार मर्या., शास्त्री चौक, सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी. कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महिला प्रा. सह. उप. भण्डार मर्या., शास्त्री चौक, सतना, पंजीयन क्रमांक 157, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

आर. पी. पाल,
उप-पंजीयक.

(108-S)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम-1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.पं.बा./परि./13/1197, बालाघाट, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के द्वारा प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, परसवाडाघाट, पंजीयन क्रमांक 490, दिनांक 22 नवम्बर, 1993, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटंगी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण हो चुका है. ऐसी स्थिति में प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, परसवाडाघाट, पंजीयन क्रमांक 490, दिनांक 22 नवम्बर, 1993, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, परसवाडाघाट, पंजीयन क्रमांक 490, दिनांक 22 नवम्बर, 1993, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, परसवाडाघाट, पंजीयन क्रमांक 490, दिनांक 22 नवम्बर, 1993, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(109)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम-1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.पं.बा./परि./13/979, बालाघाट, दिनांक 27 जुलाई, 2013 के द्वारा प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, हथौडा, पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटंगी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण हो चुका है. ऐसी स्थिति में प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, हथौडा, पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 31 अक्टूबर, 2006, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, हथौडा, पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 31 अक्टूबर, 2006, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, हथौडा, पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 31 अक्टूबर, 2006, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(109-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम-1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.पं.बा./परि./13/973, बालाघाट, दिनांक 27 जुलाई, 2013 के द्वारा प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, अगासी, पंजीयन क्रमांक 503, दिनांक 24 मार्च, 1995, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटंगी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण हो चुका है. ऐसी स्थिति में प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, अगासी, पंजीयन क्रमांक 503, दिनांक 24 मार्च, 1995, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, अगासी, पंजीयन क्रमांक 503, दिनांक 24 मार्च, 1995, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, अगासी, पंजीयन क्रमांक 503, दिनांक 24 मार्च, 1995, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(109-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम-1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.पं.बा./परि./13/896, बालाघाट, दिनांक 19 जुलाई, 2013 के द्वारा प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, कोचेवाही, पंजीयन क्रमांक 565, दिनांक 20 मार्च, 1973, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटंगी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का सम्पूर्ण निराकरण हो चुका है. ऐसी स्थिति में प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, कोचेवाही, पंजीयन क्रमांक 565, दिनांक 20 मार्च, 1973, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, कोचेवाही, पंजीयन क्रमांक 565, दिनांक 20 मार्च, 1973, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, कोचेवाही, पंजीयन क्रमांक 565, दिनांक 20 मार्च, 1973, विकासखण्ड कटंगी, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जी. एस. डेहरिया,
उप-रजिस्ट्रार.

(109-C)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 09] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2015-फाल्गुन 8, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के बालाघाट जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, झाबुआ, धार, भोपाल, बैतूल, कटनी, डिण्डोरी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला डिण्डोरी में फसल राई व मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सागर, दमोह, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, झाबुआ, खरगौन, भोपाल, हरदा, कटनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला अनूपपुर, धार, बुरहानपुर में फसल सोयाबीन व होशंगाबाद, डिण्डोरी में धान, सीधी में मक्का, उड़द, मूँग, तिल, धान व आगर, इन्दौर, सीहोर, बैतूल, कटनी, छिन्दवाड़ा में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, गुना, सागर, दमोह, उमरिया, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मूँगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) सोयाबीन, गन्ना सुधरी फसल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
***जिला टीकमगढ़:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	. .		4. (1) तुअर अधिक. ज्वार, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		राई-सरसों, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) मूँग, उड़द, मक्का, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		सोयाबीन, धान कम. कोदों-कुटकी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		मूँग, उड़द, अरहर तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	की सोयाबीन की कटाई	4. (1) धान, राहर, कोदों-कुटकी कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .	का कार्य चालू है.	रामतिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		सोयाबीन, राई-सरसों, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		कोदों-कुटकी, तिल समान.		
			(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व मक्का,	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .	उड़द, मूँग, तिल, धान	4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .	कट रही है.	मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, अलसी, मसूर, चना, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .	चालू है.	4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. कयामपुर	. .				
10.संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		तिल, मूँगफली कम. तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .	का कार्य चालू हैं.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .	. .	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, उड़द कम. धान, सोयाबीन, तुअर, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोबट	. .		4. (1) मक्का, ज्वार,बाजरा, धान, उड़द, मूँग, सोयाबीन, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. च. शेखरआ. नगर	. .				
6. उदयगढ़	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई व सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) मक्का, कपास, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) . .		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन, धान, तुअर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		मूँगफली, ज्वार, उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		मूँगफली, तिल, गन्ना समान.		
4. गौहरगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई व खरीफ फसलों	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .	की कटाई का कार्य चालू	4. (1) सोयाबीन, धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .	है.	(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	चालू है.	4. (1) धान, मूँगमोठ, उड़द, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रवी फसलों की बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	फसलों की कटाई का	4. (1) धान, तिल, कोदों, राहर, उड़द	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	कार्य चालू है.	समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, उड़द, कोदों-कुटकी, सन सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं राई की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) धान,मक्का, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बजाग	. .				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
***जिला सिवनी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	1.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, टीकमगढ़, शहडोल, देवास, बड़वानी, सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(104)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.